संख्या-15/2018/सा-3-10/दस-2018/308/2016

प्रेषक,

अलकनंदा दयाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 01 मई, 2018

विषय :- दिनांक 01-01-2016 के पूर्व अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कार्मिको की पेंशन का दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षण।

महोदय,

वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अन्तिम आहरित वेतन के नोशलन पुनरीक्षण के आधार पर संशोधित पेंशन के निर्धारण सम्बन्धी संस्तुति के क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-38/37/2016 पी एण्ड पी डब्ल्यू (ए), दिनांक 12 मई, 2017 का प्रस्तर-11 नीचे उद्धृत है :-

"11- ये आदेश उन पेंशनभोगियों की पेंशन के संशोधन के लिए लागू नहीं होंगे, जो केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के नियम 40 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन अथवा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के नियम 41 के तहत अनुकंपा भत्ता आहरित कर रहे थे। इन श्रेणियों के पेंशनभोगी इस विभाग के दिनॉक 04-08-2016 के का0ज्ञा0सं0-38/37/2016-पी एण्ड पी डब्ल्यू (ए)(ii) में निहित निर्देशों के अनुसार संशोधित पेंशन प्राप्त करने के हकदार बने रहेंगे।"

2- इस क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-23/2017-सा-3-329/दस-2017-308/2016, दिनॉक 18-07-2017 के प्रस्तर-7 के परन्तुक के रूप में अधोलिखित प्रस्तर जोड दिया जाये:-

"ये आदेश उन पेंशनभोगियों की पेंशन के संशोधन के लिए लागू नहीं होंगे, जो राज्य सरकार की सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन अथवा अनुकंपा भत्ता आहरित कर रहे थे। इन श्रेणियों के पेंशनभोगी वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016-308/2016, दिनॉक 23-12-2016 में निहित निर्देशों के अनुसार संशोधित पेंशन प्राप्त करने के हकदार बने रहेंगे।"

भवदीया,
अलकनंदा दयाल
सचिव।

संख्या-15/2018/सा-3-10(1)/दस-2018 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5- निदेशक, पेंशन, पेंशन निदेशालय, 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
9- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेशन, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।